

प्रगति समाचार पत्र

विकासित भारत 2047 के लिए पंचायती राज संस्थाओं
को सशक्त बनाना

इस अंक में.....

आवरण कथा विकसित भारत 2047 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना	-4
1. ग्रामीण आजीविका तकनीकों पर 'जय जवान किसान' कार्यक्रम	- 8
2. भागीदारीपूर्ण शासन के लिए युवाओं को सशक्त बनाने हेतु एमओवाईएस के ज़िला युवा अधिकारियों के लिए 'मॉडल यूथ ग्राम सभा' (एमवाईजीएस) मॉड्यूल पर 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'	- 9
3. एनआईआरडीपीआर में भू-संसूचना अनुप्रयोग पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया	-12
4. डे - एनआरएलएम के तहत जेंडर और एफएनएचडब्ल्यू अवधारणा और संस्थागत तंत्र पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	-13
5. सतत ग्रामीण आजीविका पर सिर्डाप -एनआईआरडीपीआर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	-15
6. पीएसीसीएस और एलएएमपीसीएस के लिए बिज़नेस में विविधता लाने के अवसरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	-16
7. एनआईआरडीपीआर में जलवायु-अनुकूल ग्रामीण समुदायों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया	- 17
8. डे-एनआरएलएम के तहत व्यक्तिगत ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	-19
9. संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)	- 20
10. वीबी-जी आरएएम जी पर कार्यशाला-सह-राइटशॉप	- 21
11. स्टूडेंट्स कॉर्नर: ड्रोन-आधारित खेती में अपनाए जाने की स्थिति, व्यावहारिकता और जेंडर से जुड़े नतीजे - नमो दीदी ड्रोन योजना से मिली जानकारी	- 22
12. एनआईआरडीपीआर ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई	- 26

विकसित भारत 2047 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना

डॉ. राजेश कुमार सिन्हा,
सहायक प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर
rajeshksinha@nird.gov.in



भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, और तब तक देश 'विकसित भारत' का दर्जा हासिल करने का संकल्प लिया है। यह विज़न भारत की महत्वाकांक्षा, मज़बूती और सभी क्षेत्रों—आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और संस्थागत—में सर्वांगीण विकास करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही समावेशी विकास और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। 'विकसित भारत 2047' का मतलब प्रति व्यक्ति उच्च आय और जीडीपी विकास; अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास तक सबकी पहुँच; उन्नत डिजिटल आधारभूत संरचना और वैश्विक नवाचार में नेतृत्व; और सामाजिक न्याय, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता हासिल करला है।

अनुमानों के अनुसार, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। हालाँकि, विकास के ज़्यादातर पैमानों पर ग्रामीण इलाके शहरी केंद्रों से काफी पीछे हैं। ग्रामीण इलाकों में मासिक प्रति व्यक्ति खपत शहरी

खपत की तुलना में बहुत कम है, जो आय में भारी अंतर को दर्शाता है। जहाँ शहरी अर्थव्यवस्थाएँ औद्योगीकरण और सेवाओं पर फलती-फूलती हैं, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ खेती पर निर्भर रहती हैं। इसके अलावा, कुशल युवाओं का शहरों की ओर लगातार पलायन ग्रामीण विकास को कमज़ोर करता है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर खराब सड़क नेटवर्क, अनियमित बिजली और स्वच्छता की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएँ भी असमान हैं; शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। साथ ही, अच्छे शिक्षण संस्थान शहरी केंद्रों में केंद्रित हैं, और ग्रामीण घरों में इंटरनेट की सुविधा शहरी इलाकों की तुलना में बहुत पीछे है।

इन तथ्यों को देखते हुए, विकसित भारत 2047 का विज़न तभी हासिल किया जा सकता है जब हम अपने गाँवों को "विकसित ग्राम" में बदलें। ऐसा बदलाव सक्रिय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से ही

संभव होता है, जिनके पास ग्रामीण इलाकों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाने और उन्हें लागू करने का संवैधानिक अधिकार है।

हालाँकि पंचायतें सदियों से भारतीय समाज का अभिन्न अंग रही हैं, लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और पूरे देश में एक समान ढाँचा प्रदान किया है। यह कानून 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। पंचायती राज दिवस मनाते हुए, पंचायतों की उपलब्धियों और चुनौतियों का आकलन करने, सरकारी और गैर-सरकारी पहलों की समीक्षा करने और विकसित भारत 2047 के विज़न को हासिल करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत करने के उपाय सुझाने का यह सही समय है।

आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन

पंचायती राज संस्थाएँ शासन के विकेंद्रीकरण और ज़मीनी स्तर पर विकास को लागू करके ग्रामीण आर्थिक विकास की नींव का काम करती हैं। वे महात्मा गांधी नरेगा जैसी सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाती हैं और सामुदायिक संपत्ति बनाती हैं। 11वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध 29 विषयों में से कई - जैसे लघु उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि - सीधे आर्थिक विकास से जुड़े हैं।

भारत सरकार ने इस भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय की गरीबी-मुक्त पंचायत पहल 2030 तक ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों को सामाजिक सुरक्षा, स्थिर आजीविका और बुनियादी सेवाओं की पूरी कवरेज सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। पंचायतें डे- एनआरएलएम के तहत स्वयं-सहायता

समूहों को बढ़ावा दे रही हैं, कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही हैं। प्रगति को रैक करने के लिए मंत्रालय पंचायत उन्नति सूचकांक का उपयोग करता है।

सफल उदाहरणों में ओडिशा की नारदा ग्राम पंचायत शामिल है, जिसने एक ऐसा मॉडल विकसित किया जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी मुर्गी पालन और मत्स्य पालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं; और गोवा की नगरगाँव पंचायत, जिसने कचरे को हरित खाना पकाने वाले ईंधन में बदलने के लिए दर्जनों बायोगैस संयंत्र स्थापित किए हैं। असम की लुकी ग्राम पंचायत ने सिलाई में व्यावसायिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक लागू किया है। साथ ही, तमिलनाडु की वरंगानूर ग्राम पंचायत ने आवास और वेतन-रोजगार योजनाओं के एकीकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में बड़ा प्रभाव दिखाया है। इसके अलावा, स्वामित्व योजना के तहत, पंचायतों ने गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया है और कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे ग्रामीण संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में कर सकते हैं।

मानव विकास

संविधान की 11वीं अनुसूची में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं जैसे विषय शामिल हैं। पंचायतों के सही ढंग से काम करने से ग्रामीण इलाकों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, पंचायतें बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करती हैं, स्कूल में दाखिले को बढ़ावा देती हैं और शिक्षकों की उपस्थिति पर नज़र रखती हैं। वे मिड-डे मील और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं तक पहुँच को आसान बनाती हैं और साथ ही ग्राम शिक्षा समितियों को मज़बूत करती हैं। तेलंगाना की गंगादेवीपल्ली ग्राम पंचायत ने अपनी स्कूल सुरक्षा समिति के माध्यम एक दशक से भी ज़्यादा समय से स्कूल में दाखिले का बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए रखा है और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या शून्य रखी है, जबकि झारखंड की पिंडरकोन ग्राम पंचायत स्थानीय शासन में छात्रों की सीधी भागीदारी के लिए

रबाल सभा आयोजित करती है। ओडिशा की सुआकाटी ग्राम पंचायत ने दूर-दराज़ के आदिवासी इलाकों में स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराकर डिजिटल बदलाव की दिशा में अहम कदम उठाया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, पंचायतें समुदाय की ज़रूरतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक पुल का काम करती हैं। वे साफ़-सफ़ाई और साफ़ पानी की व्यवस्था करती हैं और साथ ही 'ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियों' के ज़रिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के काम पर नज़र रखती हैं। आंध्र प्रदेश की बोम्मासमुद्रम ग्राम पंचायत ने पूरी तरह से संस्थागत प्रसव (अस्पताल में डिलीवरी) सुनिश्चित किया और डिजिटल हेल्थ आईडी बांटी, जबकि लालमती ग्राम पंचायत ने 2024 से मातृ और शिशु मृत्यु दर को शून्य कर दिया है।

समावेशी और समान विकास

पंचायतें सीमांत पर रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी सेवाओं को प्राथमिकता देकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं। वे महिलाओं और लड़कियों के अनुकूल माहौल बनाने में मदद करती हैं और गरीबी से निपटने के लिए आजीविका योजनाएँ लागू करती हैं। 'ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ' खास तौर पर कमज़ोर वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों या जनजातियों को प्रतिनिधित्व देकर, वे पुरानी चली आ रही असमानताओं को चुनौती देती हैं। पंचायतों के भीतर 'सामाजिक न्याय समितियाँ' इन समूहों की सुरक्षा और ज़मीनी स्तर पर कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं।

अंडमान - निकोबार द्वीप समूह की किशोरीनगर ग्राम पंचायत ने 'पंचायत फॉर हर' (महिलाओं के लिए पंचायत) मॉडल विकसित किया, जिसमें महिला सभाओं और लड़कियों को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाने पर ध्यान दिया गया। हिमाचल प्रदेश की बालागढ़ ग्राम पंचायत ने कृषि बुनियादी ढांचे में साफ़-सफ़ाई में सुधार करके और चरवाहों के लिए संसाधनों को मज़बूत करके सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं, तेलंगाना में मल्ल, ओडिशा में हटभद्रा और आंध्र प्रदेश में गोल्लापुडी को दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ आधारभूत संरचना और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए पहचान मिली है।

सतत पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएँ

पंचायतें पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाती हैं और 'ग्रीन पहल' लागू करने में मुख्य काम करती हैं। वे

समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले जंगलों, कचरे से खाद बनाने के प्रोजेक्ट्स और स्थानीय स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी के सिस्टम लगाकर सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) को बढ़ावा देती हैं। महाराष्ट्र की वसंबे पंचायत ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सौर प्रकाश व्यवस्था एवं डिजिटल विद्यालय परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए अपने स्वयं के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि किया है।

'मिशन अमृत सरोवर' के तहत 68,843 से ज़्यादा तालाबों के कार्याकल्प से जल संसाधनों में सुधार हुआ है और खेती की पैदावार में मदद मिली है। महाराष्ट्र की पिंपरी गवली ग्राम पंचायत ने भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए ट्यूबवेल पर रोक लगाकर जल सुरक्षा हासिल की, और बेला ग्राम पंचायत ने लगभग 1,00,000 पेड़ लगाकर कार्बन न्यूट्रैलिटी अर्थात कार्बन उत्सर्जन को संतुलित किया है। केरल की मीनांगडी ग्राम पंचायत को भारत की पहली कार्बन-न्यूट्रल ग्राम पंचायत बनने के लक्ष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

बेहतर आधारभूत संरचना और डिजिटल संयोजकता

ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए पंचायतें बहुत ज़रूरी हैं। वीबी जी राम जी अधिनियम के तहत, वे 2047 के विज़न के अनुसार 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' तैयार करती हैं, जिसमें सड़कें, पंचायत भवन और कचरा प्रबंधन से जुड़ी सुविधाएँ शामिल हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के मामले में, पंचायतें 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' विज़न के तहत आधारभूत संरचना परियोजनाओं को लागू करती हैं। पीएम-वाणी योजना के तहत, वे पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाती हैं और पीएमजीडीआईएसएचए के ज़रिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती हैं। पंचायतें अब संपत्तियों की मैपिंग करने और वैज्ञानिक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए जीआईएस अनुप्रयोग 'ग्राम मानचित्र' का उपयोग करती हैं।

कर्नाटक की बेल्ले ग्राम पंचायत ने करों का शत-प्रतिशत डिजिटल संग्रहण सुनिश्चित किया, जबकि केरल की वीयापुरम ग्राम पंचायत ने बेघरपन को पूर्णतः समाप्त कर बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण किया। तमिलनाडु की कीरणाथम ग्राम पंचायत ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को पारंपरिक सेवाओं के साथ एकीकृत करते हुए स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित की। वहीं महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत, जो एक आदर्श जनजातीय ग्राम के रूप में जानी जाती है, ने अपने व्हाट्सऐप-आधारित दस्तावेज़ वितरण तंत्र के लिए वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-

गवर्नेस पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अलावा, एआई आधारित उपकरण 'सभासार' का उपयोग अब 92,000 से अधिक ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में बैठकों का अभिलेखन तथा सार-संक्षेप तैयार करने के लिए किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण परिवर्तन की प्रेरक शक्ति के रूप में विशिष्ट स्थान रखती हैं। वे नीतियों के निर्माण और उनके जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के बीच सेतु का कार्य करती हैं।

चुनौतियाँ एवं आगे की राह

यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में अपार संभावनाएँ निहित हैं, फिर भी वे अनेक संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। प्रमुख समस्या शक्तियों के अपर्याप्त हस्तांतरण की है, क्योंकि अनेक राज्यों ने कार्य, वित्त और कार्मिकों का पूर्ण विकेंद्रीकरण नहीं किया है। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पीआरआई उच्च स्तर की सरकारों पर अत्यधिक निर्भर रहती हैं। इसके अलावा, क्षमता निर्माण की सीमाएँ तथा राजनीतिक हस्तक्षेप अक्सर उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। जातिगत असमानताएँ और जेंडर पूर्वाग्रह जैसी गहरी सामाजिक बाधाएँ भी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें शक्तियों का प्रभावी विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्तर पर वास्तविक

निर्णय लेने के अधिकार सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही, पीआरआई की राजस्व सृजन क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषकर महिला जनप्रतिनिधियों, के नेतृत्व एवं प्रशासनिक कौशल के विकास हेतु व्यापक क्षमता निर्माण भी आवश्यक है। दूरस्थ क्षेत्रों तक ई-गवर्नेस का विस्तार करते हुए डिजिटल परिवर्तन को निरंतर बढ़ावा देना तथा सामाजिक लेखा-परीक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और अधिक मजबूत करना भी समय की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतीक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विकास की मजबूत नींव आवश्यक है, जो पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। यद्यपि 73वें संविधान संशोधन ने इन संस्थाओं के लिए सुदृढ़ संस्थागत ढांचा प्रदान किया है, फिर भी इनके पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्वायत्तता, वित्तीय सशक्तीकरण तथा क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। वर्ष 2047 की ओर अग्रसर भारत में पंचायती राज संस्थाओं को उत्तरदायी, पारदर्शी, नवाचारी और सशक्त स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में विकसित होना होगा, जो ग्रामीण परिवर्तन को गति प्रदान करते हुए सभी नागरिकों के लिए समृद्ध, न्यायसंगत और समावेशी भविष्य का निर्माण करें।

ग्रामीण आजीविका प्रौद्योगिकियों पर जय जवान किसान कार्यक्रम



ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में डॉ. सी. कथिरेशन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआईए एवं एसजे; श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, आरटीपी-सीआईएटी के साथ ग्रामीण आजीविका तकनीकों के बारे में जानकारी और अनुभव पर आयोजित जय जवान किसान कार्यक्रम के प्रतिभागी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने अपने कौशल एवं रोजगार हेतु नवाचार तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी एवं एसजे) के माध्यम से 13 से 24 अप्रैल 2026 तक ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) में "ग्रामीण आजीविका प्रौद्योगिकियों के अभिमुखीकरण एवं अवलोकन" पर 'जय जवान किसान कार्यक्रम' आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को नई ग्रामीण आजीविका तकनीकों और सतत विकास के तरीकों का व्यावहारिक अनुभव देना था, जो आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद कर सकें। इसमें अलग-अलग सेवाओं और संस्थानों के लोगों को तकनीक पर आधारित ग्रामीण आजीविका के उपायों के बारे में अनुभव-आधारित सीख के लिए एक साथ लाया गया।

इस अभिमुखीकरण में सतत आजीविका, उपयुक्त तकनीकों, ग्रामीण उद्यमों, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और समुदाय-आधारित विकास पहलों से जुड़ी कई ग्रामीण तकनीकों और कौशल-आधारित गतिविधियों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को कम लागत वाली, पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय स्तर पर अपनाई जा सकने वाली तकनीकों के डेमो और फ्रील्ड-आधारित लर्निंग मॉड्यूल दिखाए गए, जिन्हें ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में विकसित और बढ़ावा दिया गया है।

सत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और आजीविका के मौकों को बेहतर बनाने में तकनीक के हस्तांतरण, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया। बातचीत और चर्चाओं से प्रतिभागियों को यह समझने में मदद मिली कि ग्रामीण तकनीकें कैसे आत्मनिर्भरता, सततता और समावेशी ग्रामीण बदलाव में योगदान दे सकती हैं।

एमओवाईएस के जिला युवा अधिकारियों के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा मॉड्यूल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएस) के प्रतिभागियों के साथ श्री विपुल उज्ज्वल, आईएस, निदेशक, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर)।

परिचय

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और विविध प्रणालियों में से एक है, जो राष्ट्रीय शासन से लेकर ज़मीनी स्तर की संस्थाओं तक फैली हुई है। इस व्यवस्था के केंद्र में पंचायती राज ढांचा है, जहाँ नागरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं। हालाँकि, कक्षाओं में लोकतंत्र के बारे में सिखाए जाने के बावजूद, भारत में कई युवाओं को असल ज़िंदगी में इसे आज़माने के मौके नहीं मिलते। इस कमी के कारण युवाओं की नागरिक भागीदारी सीमित हो गई है और ज़मीनी स्तर के शासन में उनकी हिस्सेदारी कम हुई है।

इस समस्या को दूर करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से 2025 में 'मॉडल यूथ ग्राम सभा' (एमवाईजीएस) पहल शुरू की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को गाँव के स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। ग्राम सभा की कार्यवाही का अनुकरण करके, एमवाईजीएस युवाओं को शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने और स्थानीय विकास में योगदान करने के लिए ज़रूरी ज्ञान, आत्मविश्वास और कौशल से लैस करता है।

यह पहल पहले ही भारत भर के सैकड़ों जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है, जिसमें एनआईआरडीपीआर के 'स्कूल ऑफ़

एक्सीलेंस इन पंचायती राज' (एसओईपीआर) के वरिष्ठ परामर्शदाता और परामर्शदाता की भूमिका रही है। इसी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, 6-7 अप्रैल 2026 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में एमओपीआर द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमओवाईएस) के उप-निदेशक और ज़िला युवा अधिकारी शामिल हुए, ताकि ज़मीनी स्तर पर एमवाईजीएस के कार्यान्वयन को मज़बूत किया जा सके।

शासन-व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी का महत्व

शासन-व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी का महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत की लगभग 60% आबादी युवा है, इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिरता और असरदार कामकाज के लिए उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। हालाँकि, ग्राम सभाओं में युवाओं की कम उपस्थिति और उनके महत्व के बारे में सीमित जानकारी ने स्थानीय शासन-व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया है।

पंचायती राज मंत्रालय (एसओईपीआर) के विशेषज्ञों ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस बात पर ज़ोर दिया कि युवाओं को गाँव की शासन-व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि उनकी भागीदारी विकास के नतीजों पर कैसे असर डाल सकती है। ग्राम सभाओं में सक्रिय भागीदारी से युवा नागरिक अपनी बात रख सकते हैं, समाधान की सुझाव दे सकते हैं और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को तैयार करने में योगदान दे सकते हैं।

एमवाईजीएस पहल का मकसद सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बीच की खाई को पाटना है। इसके लिए एक ऐसा मंच बनाया गया है जहाँ युवा असल ज़िंदगी की शासन स्थितियों की नकल कर सकते हैं। सीखने के इस व्यावहारिक तरीके से, प्रतिभागी ग्राम सभाओं के कामकाज, फैसले लेने की प्रक्रियाओं और लोकतंत्र में नागरिकों की ज़िम्मेदारियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएँ

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में आयोजित दो-दिवसीय टीओटी कार्यक्रमों का मकसद ज़िला युवा अधिकारियों को ज़रूरी टूल्स और समझ प्रदान करना था ताकि वे अपने-अपने ज़िलों में एमवाईजीएस को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन सत्र के साथ हुई, जिसमें ग्राम सभाओं में भागीदारी बढ़ाने और जीपीडीपी की गुणवत्ता में सुधार करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया।



कार्यक्रम के दौरान युवाओं में स्थानीय शासन के प्रति जानकारी की कमी पर मुख्य चर्चा केंद्रित थी। हालाँकि शैक्षणिक संस्थानों में अक्सर मॉक पार्लियामेंट आयोजित की जाती हैं, लेकिन पंचायती राज संस्थानों के लिए ऐसी पहल कम ही देखने को मिलती हैं। एमवाईजीएस का मकसद युवाओं को एक व्यवस्थित और दिलचस्प तरीके से ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र से परिचित कराकर इस कमी को पूरा करना है।

प्रतिभागियों को अपने ज़िलों में मॉक एमवाईजीएस सत्र आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, खासकर

24 अप्रैल 2026 को, जिसे व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा, मॉक एमवाईजीएस में शामिल युवाओं को स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गांधी जयंती (2 अक्टूबर) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर असल ग्राम सभाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह लगातार जुड़ाव यह सुनिश्चित करता है कि सीखना केवल अनुसरण तक ही सीमित न रहे, बल्कि असल दुनिया के अभ्यास तक पहुँचे।



सहभागितापूर्ण लर्निंग और रोल-प्ले गतिविधियाँ

प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता सहभागितापूर्ण और भागीदारी-आधारित लर्निंग के तरीकों का उपयोग करना था। पिरामल फ़ाउंडेशन के सुविधाकर्ताओं ने प्रतिभागियों को ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करने के लिए समूह गतिविधियाँ, चर्चाएँ और रोल-प्ले अभ्यास आयोजित किए।





प्रतिभागियों को समूहों में बाँटा गया और उनसे ग्राम सभा सत्रों का अभिनय करने के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने गाँव के नेताओं, नागरिकों और अधिकारियों जैसी भूमिकाएँ निभाईं। इस व्यावहारिक तरीके से उन्हें स्थानीय शासन से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का अनुभव करने का मौका मिला। अवलोकनकर्ताओं ने रचनात्मक फीडबैक दिया, जिससे प्रतिभागियों को अपनी समझ को बेहतर बनाने और अपनी सुविधा प्रदान करने के कौशल को सुधारने में मदद मिली।

इन गतिविधियों ने न केवल सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया, बल्कि प्रतिभागियों में टीम वर्क, बातचीत और गहराई से सोचने की क्षमता को भी बढ़ावा दिया। असल ज़िंदगी की स्थितियों का अनुभव कराकर, इस कार्यक्रम ने यह पक्का किया कि ट्रेनी अपने समुदायों में एमवाईजीएस सत्र को असरदार ढंग से चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हों।

प्रभाव और भविष्य की सोच

एमवाईजीएस पहल भारत में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। युवाओं को व्यावहारिक जानकारी देकर और उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देकर, यह कार्यक्रम गाँव के स्तर पर लोकतांत्रिक कमियों को दूर करने का लक्ष्य रखता है।

टीओटी कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने अपने ज़िलों में एमवाईजीएस को लागू करने और युवाओं को शासन की प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए मज़बूत प्रतिबद्धता दिखाई। उम्मीद है कि इस पहल का व्यापक असर होगा, जिससे और ज़्यादा युवा ग्राम सभाओं में भाग लेने और स्थानीय विकास की योजना बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे।

लंबे समय में, एमवाईजीएस विकसित भारत 2047 के विज़न के अनुरूप है, जो समावेशी विकास और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत के युवाओं की क्षमता का उपयोग करने पर ज़ोर देता है। युवा नागरिकों में ज़िम्मेदारी, लीडरशिप और नागरिक भागीदारी की भावना को बढ़ावा देकर, यह पहल एक ज़्यादा भागीदारीपूर्ण और जीवंत लोकतंत्र बनाने में योगदान देती है।

निष्कर्ष

मॉडल युवा ग्राम सभा पहल सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिक शासन के बीच अंतर को पाटने का एक परिवर्तनकारी प्रयास है। युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके, यह उन्हें अपने समुदायों को आकार देने में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाता है।

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता शासन में प्रमुख हितधारकों के रूप में युवाओं की बढ़ती मान्यता को उजागर करती है। जैसे-जैसे एमवाईजीएस का देश भर में विस्तार जारी है, तो ग्राम सभाओं को पुनर्जीवित करना, पंचायती राज संस्थानों को मज़बूत करना और सूचित, जिम्मेदार और लगे हुए नागरिकों की एक पीढ़ी का पोषण करने की क्षमता कायम है।

अंततः, एमवाईजीएस का वास्तविक प्रभाव समय के साथ महसूस किया जाएगा, क्योंकि आज के युवा कल के नेताओं के रूप में विकसित होंगे, जो भारत को अधिक समावेशी, भागीदारीपूर्ण और विकसित भविष्य की ओर ले जाएंगे।

एनआईआरडीपीआर में भू-संसूचना अनुप्रयोगों पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया



ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, डॉ. पी. चन्द्र शेखर, महानिदेशक, सिर्डाप और डॉ. पी. केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीगार्ड एवं सीआरटीसीएन, एनआईआरडीपीआर के साथ प्रतिनिधि।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के डे-एनआरएलएम संसाधन सेल ने सिर्डाप के साथ मिलकर और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के सहयोग से, 30 मार्च 2026 को अपने कैम्पस में "ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग" पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन सिर्डाप के महानिदेशक डॉ. पी. चंद्र शेखर ने किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और ग्रामीण विकास की योजना और उसे लागू करने में भू-संसूचना की बढ़ती अहमियत पर ज़ोर दिया। इस कार्यक्रम में सिर्डाप के सदस्य देशों - जैसे बांग्लादेश, फ़िजी, भारत, लाओ पीडीआर, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और वियतनाम - से 17 प्रतिभागी शामिल हुए, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक बेहतरीन मंच मिला।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण विकास में भू-संसूचना के अभिनव अनुप्रयोगों पर आधारित विभिन्न



इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद के लिए अपने दौरे के दौरान, वेंकटमल्लू थडाबोइना, कार्यक्रम अधिकारी (लर्निंग), सिर्डाप के साथ प्रतिनिधि।

तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने अपने देशों के अनुभव भी साझा किए, जिससे आपसी सीख और क्षेत्रीय जानकारी का आदान-प्रदान हुआ।

कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों ने जल संसाधनों, वानिकी, पारिस्थितिकी और मत्स्य पालन में भू-संसूचना के उपयोग पर आधारित सत्रों में भाग लिया। पारस्परिक ग्रुप वर्क के ज़रिए प्रतिनिधियों ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और सतत विकास की योजना बनाने के लिए भू-स्थानिक टूल्स के उपयोग को मिलकर समझा।

परिचयात्मक दौरे के भाग के रूप में, प्रतिनिधियों ने हैदराबाद के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) का दौरा किया, जहाँ उन्हें आपदा की तैयारी, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और तटीय संसाधनों के प्रबंधन में भू-संसूचना के प्रयोग के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिली। एशिया-पैसिफिक के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पर आयोजित एक विशेष सत्र ने टेक्नोलॉजी पर आधारित लचीली रणनीतियों के बारे में उनकी समझ को और बेहतर बनाया।

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत तथा एफएनएचडब्ल्यू अवधारणाओं और संस्थागत तंत्र पर टीओटी



डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत तथा एफएनएचडब्ल्यू अवधारणाओं और संस्थागत तंत्र पर टीओटी कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ डॉ. टी. विजया कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र (सीईएसडी) ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाईटी, तेलंगाना सरकार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर की सहायता से दिनांक 22-24 अप्रैल 2026 तक दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर, खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वॉश अवधारणों एवं संस्थागत तंत्रों पर ती दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के 11 जिलों से 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्लॉक मिशन मैनेजर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन और जेंडर सीपीआर शामिल थे; इसमें महिला प्रतिभागियों की भी अच्छी-खासी संख्या थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जेंडर समता और समुदायों के समग्र कल्याण में सुधार के साथ सतत ग्रामीण विकास के निकट

संयोजन को देखते हुए डीएवाई-एनआरएलएम फ्रेमवर्क के तहत स्वास्थ्य, पोषण और वॉश हस्तक्षेपों के साथ जेंडर को एकीकृत करने के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों की क्षमता को मज़बूत करना था। उद्घाटन सत्र के दौरान डॉ. टी. विजया कुमार, सीईएसडी के अध्यक्ष ने जेंडर, समता और ग्रामीण इलाकों में सामाजिक विकास के मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टीओटी के महत्व पर ज़ोर दिया।

इस कार्यक्रम उद्देश्य जेंडर को एक सामाजिक धारणा के तौर पर समझने में स्पष्टता लाना था। इसमें जेंडर से जुड़ी भूमिकाओं, सत्ता के संबंधों, पितृसत्ता और जेंडर-आधारित हिंसा जैसे मुद्दों पर बात की गई। साथ ही, जेंडर और एफएनएचडब्ल्यू के नतीजों के बीच अहम संबंधों पर भी ज़ोर दिया गया, खासकर महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के संदर्भ में। ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, केस स्टडी और एक्शन प्लानिंग जैसी गतिविधियों के ज़रिए, लोगों को फील्ड-लेवल पर काम करने के लिए ज़रूरी स्किल और प्रैक्टिकल टूल्स सिखाए गए। कुल 14 सेशन में कई अहम विषयों पर चर्चा

हुई, जैसे गरीबी के चक्र को समझना, जेंडर के आधार पर समाजीकरण, तेलंगाना समावेशी आजीविका कार्यक्रम के तहत किए गए काम, जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए संस्थागत तरीके, माँ और बच्चे की सेहत, साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता की आदतें, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल, और सामाजिक बदलाव के लिए स्व-सहायता समूहों की भूमिका। प्रशिक्षण में कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे व्याख्यान के साथ चर्चा,

परिचयात्मक दौरा, समूह कार्य और रोल प्ले व ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए प्रतिभागियों की प्रस्तुतीकरण। इसके अलावा, प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर के ग्रामीण हस्तशिल्प पार्क (आरटीपी) ले जाया गया, ताकि उन्हें ज़मीनी स्तर की टेक्नोलॉजी और आजीविका विकास के तरीकों का लाइव डेमो के ज़रिए व्यावहारिक अनुभव मिल सके।



राष्ट्रीय स्रोत व्यक्तियां जैसे सुश्री ए. शारदा और सुश्री पी.ए. देवी ने सुश्री ज्योत्सना राजू, श्री टी. रविंदर राव, श्री जयराम किल्ली, एसईआरपी तेलंगाना और श्री के. वेंकटेश्वर राव, एनआरएलएम एवं आरसी के साथ कई सत्र चलाएं और डॉ. सत्य रंजन महाकुल ने व्यावहारिक सत्रों का संचालन किया जैसे कि समूह परिचर्चा, रोल प्ले और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्री एवं पोस्ट टेस्ट।

इस प्रशिक्षण से जेंडर और एफएनएचडब्ल्यू अवधारणाओं की समझ बेहतर हुई, जानकारी आगे पहुँचाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का ग्रुप मज़बूत हुआ, और ब्लॉक तथा समुदाय स्तर पर लागूकरण के लिए संदर्भ-विशिष्ट कार्य योजना विकसित

कराने के लिए प्रतिभागियों को सक्षम बनाया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सहभागितापूर्ण संरचना तथा व्यावहारिक उपयोगिता की सराहना करते हुए कहा कि इसका ज्ञान उनके क्षेत्रीय कार्यों में सीधे उपयोगी होगा। यह पहल एसएचजी आधारित हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाने, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने तथा समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपेक्षा रखती है। डॉ. टी. विजय कुमार, अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक विकास केंद्र; डॉ. सत्य रंजन महाकुल, सहायक प्रोफेसर; श्री के.वेंकटेश्वर राव, एनआरएलएम; तथा श्री सीएच. सैदी रेड्डी, प्रशिक्षण प्रबंधक ने कार्यक्रम का संयोजन किया।

सतत ग्रामीण आजीविका पर सिर्डाप- एनआईआरडीपीआर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम



“सतत ग्रामीण आजीविका के लिए सामुदाय उन्मुख दृष्टिकोण” पर एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों के साथ सिर्डाप-एनआईआरडीपीआर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सिर्डाप) ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के सहयोग से, 13-18 अप्रैल 2026 तक एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद, भारत में “सतत ग्रामीण आजीविका के लिए समुदाय-संचालित दृष्टिकोण” पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में सिर्डाप और एनआईआरडीपीआर के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बांग्लादेश, भारत, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और वियतनाम जैसे सिर्डाप सदस्य देशों से 20 प्रतिभागी शामिल हुए। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय सहयोग, अलग-अलग देशों से सीखने और सतत ग्रामीण आजीविका के तरीकों पर अनुभव साझा करने के लिए एक मंच साबित हुआ।

इस प्रशिक्षण में कई तकनीकी सत्र शामिल थे, जिनमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास से जुड़ी नई चुनौतियों और अवसरों, समुदाय-संचालित विकास (सीडीडी) के सिद्धांतों और तरीकों, भारत में ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में स्थानीय शासन की



भूमिका, और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तथा सतत आजीविका प्रणालियों को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

प्रतिभागियों ने सहभागी दृष्टिकोणों, संस्थागत मजबूती और सामुदायिक नेतृत्व वाली ग्रामीण विकास कार्यों पर केंद्रित पारस्परिक चर्चाओं, ज्ञान-साझाकरण सत्रों और विषय-आधारित विचार-विमर्श में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सतत ग्रामीण बदलाव लाने के लिए स्थानीय संस्थाओं, समावेशी शासन और जलवायु के प्रति लचीलेपन के महत्व पर जोर दिया गया।

इस पहल का मकसद भाग लेने वाले देशों के ग्रामीण समुदायों में क्षमताएं बढ़ाना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आजीविका में सुधार तथा लचीलापन बढ़ाने के लिए समुदाय-संचालित नए तरीकों को प्रोत्साहित करना है।

पीएसीसीएस एवं एलएएमपीसीएस के लिए व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीजीएस एवं डीई ; डॉ. आर्यश्री देबप्रिया, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई ; और ए. परसुरामुडू, लाइब्रेरी और सूचना सहायक, एनआईआरडीपीआर के साथ सु-शासन पद्धतियां और व्यवसाय विविधीकरण के अवसर एवं पीएसीसीएस तथा एलएएमपीसीएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागीगण

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने अपने 'स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (सीपीजीएस एवं डीई) के माध्यम से अप्रैल-मई 2026 के दौरान पीएसीसीएस एवं एलएएमपीसीएस के लिए व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों एवं बेहतर पद्धतियों पर दो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इन दोनों कार्यक्रमों को ओडिशा सरकार के सहकारिता विभाग ने प्रायोजित किया था और इनका उद्देश्य सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की प्रबंधकीय, परिचालन तथा सुशासन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना था।

“पीएसीसीएस एवं एलएएमपीसीएस के अध्यक्षों/निदेशक मंडल तथा सीईओ के लिए सुशासन की प्रथाओं, व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों की रणनीतियों तथा पैक्स में अपनाई जा रही उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम” शीर्षक पहला कार्यक्रम का आयोजन 20- 24 अप्रैल 2026 तक किया गया। दूसरा कार्यक्रम, "पीएसीसीएस एवं एलएएमपीसीएस के अध्यक्षों/निदेशक मंडल तथा सीईओ के लिए व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों एवं पैक्स की सर्वोत्तम प्रथाओं" को 27 अप्रैल से 01 मई, 2026 तक संस्थान परिसर में आयोजित किया गया।

इन कार्यक्रमों में सतत ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिता सोसाईटी (पीएसीसीएस) और लार्ज एरिया मल्टी-पर्सन सहकारिता सोसाईटी (एलएएमपीसीएस) की बदलती भूमिका पर ध्यान दिया गया। सत्र में संस्थागत स्थिरता और सदस्यों को दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कृषि-व्यवसाय सेवाओं, इनपुट आपूर्ति, भण्डारण, प्रसंस्करण, मूल्य जोड़ और विपणन गतिविधियों में विविधीकरण पर ज़ोर दिया गया।

विशेषज्ञों ने सफल सहकारी मॉडल, शासन की पद्धतियों और वित्तीय प्रबंधन, संस्थागत दक्षता, जवाबदेही और बाज़ार से जुड़ाव को मज़बूत करने की रणनीतियों के बारे में जानकारी साझा की। बातचीत और अनुभव साझा करने के सत्रों से प्रतिभागियों को ज़मीनी स्तर की चुनौतियों पर चर्चा करने और सहकारी संस्थाओं के कामकाज को बेहतर बनाने और उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए नए और इनोवेटिव तरीके खोजने का मौका मिला।

इन कार्यक्रमों ने सहकारी नेताओं को व्यापार में विविधता लाने की रणनीतियों और शासन के तरीकों के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया, जिससे ओडिशा में मज़बूत और स्थिर सहकारी संस्थाओं के निर्माण में मदद मिली।

एनआईआरडीपीआर में जलवायु-अनुकूल ग्रामीण समुदाय पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।



एनआईआरडीपीआर में बदलती जलवायु के बीच लचीले एवं सुदृढ़ ग्रामीण समुदायों का निर्माण पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित डॉ. पी. चंद्र शेखरा, महानिदेशक, सिर्डाप; डॉ. टी. विजया कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीईएसडी; डॉ. अंजन कुमार भंजा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष; श्री भागइया जी और वेंकटमल्लू थडाबोइना, कार्यक्रम अधिकारी (लर्निंग), सिर्डाप

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने सिर्डाप के साथ मिलकर, 27 अप्रैल से 02 मई 2026 तक संस्थान के कैपस में "बदलते मौसम में मज़बूत ग्रामीण समुदाय बनाना" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केन्द्र (सीएनआरएम, सीसी एवं डीएम) द्वारा किया गया था।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे टिकाऊ, समावेशी और तकनीकी-आधारित तरीकों से ग्रामीण समुदायों पर असर डालने वाली जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिभागियों की क्षमता को बढ़ाना था। इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और व्यवहारकर्ताओं को एक साथ लाया गया ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जलवायु के प्रति मज़बूती बढ़ाने के लिए नए और इनोवेटिव समाधान खोज सकें।



प्रतिभागियों को मुख्य संबोधन दे रहे माननीय मुख्य अतिथि श्री भागयाह जी

तकनीकी सत्रों में जलवायु में बदलाव, जलवायु अनुकूल खेती, हालात के अनुसार ढलने और असर कम करने की रणनीतियों, भू-संरचना अनुप्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, सतत आजीविका की योजना और आपदा की तैयारी जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया। मैनेज, क्रीडा और एनआईआरडीपीआर जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों ने ग्रामीण इलाकों के उन समुदायों में मज़बूती लाने के उद्देश्य से उभरती चुनौतियों, पॉलिसी से जुड़े कदमों और ज़मीनी स्तर पर किए गए नए प्रयोगों पर अपने विचार साझा किए, जो जलवायु परिवर्तन के असर के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं।



वैश्विक जलवायु परिवर्तनों की मूलभूत अवधारणाओं की व्याख्या करते हुए डॉ. रवींद्र एस. गवली

तकनीकी सत्रों में जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु-अनुकूल कृषि, अनुकूलन एवं शमन रणनीतियों, भू-सूचना विज्ञान के अनुप्रयोगों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सतत आजीविका नियोजन तथा आपदा तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। मैनेज, सीआरआईडीए और एनआईआरडीपीआर सहित विभिन्न संस्थानों के विषय विशेषज्ञों ने उभरती चुनौतियों, नीतिगत प्रतिक्रियाओं तथा क्षेत्र-स्तरीय नवाचारों पर अपने विचार साझा किए, जिनका

उद्देश्य संवेदनशील ग्रामीण समुदायों की आपदाओं और जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति सहनशीलता को मजबूत करना था।



जलवायु-लचीली कृषि के निर्माण हेतु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पहलों पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए डॉ. के. कृष्णा रेड्डी, निदेशक (आईसीटी), मैनेज

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआईआरआर), भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), इकरिसैट, आईएनसीओआईएस तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए अध्ययन भ्रमण थे। इन भ्रमणों के माध्यम से प्रतिभागियों को जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों, रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, जलवायु-लचीली फसल प्रबंधन पद्धतियों तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने वाली सतत ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ।



भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) के दौरे पर प्रतिभागी, जहाँ रवि कुमार भारत में पाए जाने वाले अलग-अलग तरह के मोटे अनाजों मिलेडस के बारे में बता रहे हैं।



पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते हुए माननीय कुलपति डॉ. मिलाप पुनिया

इस कार्यक्रम में पारस्परिक चर्चा, देशों की प्रस्तुतीकरण और अनुभव साझा करने वाले सत्र भी शामिल थे। इससे प्रतिभागियों को जलवायु के प्रति लचीलापन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के क्षेत्र में क्षेत्रीय अनुभवों और बेहतरीन तौर-तरीकों से सीखने का मौका मिला। प्रतिनिधियों ने समुदाय-आधारित अनुकूलन मॉडल, संस्थागत तंत्र और संवेदनशील समुदायों को प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता को सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों द्वारा "बैक एट वर्क प्लान" तैयार करने के साथ हुआ। इन योजनाओं में प्रशिक्षण के दौरान मिली जानकारी, टूल्स और तरीकों को अपने-अपने देशों और संगठनों में लागू करने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की गई।



डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के प्रतिभागियों के साथ
डॉ. रवींद्र एस. गवली, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएनआरएम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ के माध्यम से 29 अप्रैल से 02 मई 2026 तक संस्थान के कैम्पस में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत व्यक्तिगत ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत व्यक्तिगत ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने में प्रशिक्षकों एवं फील्ड-स्तरीय कार्यकर्ताओं की क्षमता को मज़बूत करना रहा है। इसमें स्व सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों की मदद के लिए क्रेडिट लिंकेज प्रक्रियाओं, वित्तीय समावेशन की रणनीतियों और इन्हे लागू करने के तरीकों के बारे में प्रतिभागियों की समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया।

सत्र में ऋण आवेदन की प्रक्रियाओं, मूल्यांकन के तरीकों, दस्तावेजीकरण प्रक्रिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बैंक लिंकेज सिस्टम और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जैसे अहम पहलुओं को

शामिल किया गया। संस्थागत ऋण तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने, वित्तीय साक्षरता को बेहतर बनाने और ग्रामीण महिलाओं व एसएचजी सदस्यों के लिए आजीविका के मौकों को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया।

प्रशिक्षण में बातचीत, व्यावहारिक अभ्यास और अनुभव साझा करने वाले सत्र शामिल थे, जिनसे प्रतिभागियों को आईईएलए प्रक्रिया और जमीनी-स्तर पर इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों की व्यावहारिक समझ मिली। प्रतिभागियों ने ऋण के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक संस्थाओं, बैंकों और लागू करने वाली एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर बनाने की रणनीतियों पर भी चर्चा की।

कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों के डीएवाई-एनआरएलएम के तहत वित्तीय समावेशन को मज़बूत करने और सतत आजीविका पहलों का समर्थन करने के उनके संकल्प को दोहराने के साथ हुआ।

एसओईपीआर द्वारा संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन



संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) - बैच V के प्रतिभागियों के साथ डॉ. अंजन कुमार भंजा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के पंचायती राज उत्कृष्टता स्कूल (एसओईपीआर) द्वारा संस्थान के परिसर में 27 अप्रैल से 01 मई 2026 तक संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) - बैच V का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं, प्रशिक्षण केंद्रों तथा ग्रामीण विकास संगठनों से जुड़े संकाय सदस्यों एवं पेशेवरों की शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-सुविधाकरण संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को विकेन्द्रीकृत शासन, सहभागी नियोजन प्रक्रियाओं तथा ग्रामीण विकास में क्षमता निर्माण के नवाचारी दृष्टिकोणों की बेहतर समझ प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज शासन, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण, सहभागी प्रशिक्षण पद्धतियाँ, नेतृत्व विकास तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे प्रमुख विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। स्रोत व्यक्तियों ने जमीनी स्तर के शासन एवं ग्रामीण परिवर्तन से संबंधित उभरते नीतिगत दृष्टिकोणों, क्षेत्रीय अनुभवों तथा श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में प्रशिक्षण-सुविधाकरण एवं संचार कौशल को सुदृढ़ करने, शिक्षार्थी-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा क्षमता निर्माण पहलों में अनुभवात्मक अधिगम समाहित करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही, प्रभावी ज्ञान प्रसार एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सुशासन को सुदृढ़ करने में प्रशिक्षकों एवं संकाय सदस्यों की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

एफडीपी में पारस्परिक सत्र, समूह चर्चाएँ, व्यावहारिक अभ्यास, मामला अध्ययन तथा अनुभव-साझाकरण गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनसे प्रतिभागियों को विभिन्न संस्थागत अनुभवों का आदान-प्रदान करने और एक-दूसरे से सीखने का अवसर मिला। इन गतिविधियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा, प्रशिक्षण-सुविधाकरण तकनीकों तथा सहभागी अधिगम प्रक्रियाओं के व्यावहारिक पहलुओं को समझने में प्रतिभागियों की सहायता की।

कार्यक्रम के समापन चरण में प्रतिभागियों ने अपने शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय कार्यों में अर्जित ज्ञान के प्रभावी अनुप्रयोग पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से उनके प्रशिक्षण-सुविधाकरण कौशल, विकेन्द्रीकृत शासन की समझ तथा क्षमता निर्माण संबंधी दृष्टिकोणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो भविष्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण में उपयोगी सिद्ध होगी।

वीबी-जी आरएएम-जी पर कार्यशाला-सह-ब्राइटशॉप



सीडब्ल्यूईएल, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा आयोजित 'विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी राम जी] के अभिमुखीकरण पर कार्यशाला-सह-ब्राइटशॉप के दौरान एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों के साथ प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के वेतन रोजगार एवं आजीविका केंद्र (सीडब्ल्यूईएल) द्वारा 27 से 29 अप्रैल 2026 तक "विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी राम जी] पर उन्मुखीकरण हेतु कार्यशाला-सह-राइटशॉप का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को विकसित भारत गारंटी पहल के उद्देश्यों, रूपरेखा तथा कार्यान्वयन रणनीतियों से परिचित कराना था, जिसमें ग्रामीण रोजगार सृजन एवं आजीविका संवर्धन पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यशाला में वेतन रोजगार एवं ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता तथा विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने ग्रामीण विकास हस्तक्षेपों को अधिक प्रभावी बनाने की रणनीतियों पर विचार किए।

कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में रोजगार सृजन, सतत आजीविका संवर्धन, ग्रामीण विकास योजनाओं के अभिसरण, सामुदायिक सहभागिता तथा प्रभावी

कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही, जमीनी स्तर के संस्थानों को सुदृढ़ करने, आजीविका के अवसरों का विस्तार करने तथा समावेशी ग्रामीण परिवर्तन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी विशेष प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के राइटशॉप घटक के अंतर्गत प्रतिभागियों ने मिशन से संबंधित प्रशिक्षण एवं संदर्भ सामग्री के संयुक्त विकास और परिष्करण का कार्य किया। संवादात्मक चर्चाओं, समूह अभ्यासों तथा अनुभव-साझाकरण सत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय अनुभवों और कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के व्यावहारिक उपायों का आदान-प्रदान किया गया।

प्रतिभागियों ने मिशन के कार्यान्वयन, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण तथा निगरानी से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा किए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन रोजगार एवं आजीविका पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवाचारी उपायों का भी अन्वेषण किया गया। यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों से आए हितधारकों में ज्ञान-विनिमय, अनुभव-साझाकरण तथा सहयोगात्मक अधिगम का प्रभावी मंच सिद्ध हुआ।

ड्रोन-आधारित कृषि में अपनाने की प्रवृत्ति, व्यवहार्यता एवं जेंडर परिणाम: नमो दीदी ड्रोन योजना से प्राप्त अंतर्दृष्टियाँ

सुश्री सहना एस.

पीजीडीएम-आरएम, एनआईआरडीपीआर

sahanashanmugamoorthy@gmail.com

Namo Drone Didi: Empowering Women in Agriculture



मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गाँव से वर्ष 2025 में एक शांत लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत हुई। इस परिवर्तन के केंद्र में थीं युवा ग्रामीण महिला साक्षी पांडे, जिनके साहस, दृढ़ संकल्प और लगन ने न केवल उनके जीवन को नई दिशा दी, बल्कि ग्रामीण भारत की सैकड़ों महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना।

साक्षी की प्रेरणादायक यात्रा वर्ष 2023 में शुरू हुई, जब उन्होंने इफको द्वारा आयोजित 15-दिवसीय ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने ड्रोन संचालन, विशेषकर फसलों पर हवाई छिड़काव की तकनीक में दक्षता प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि अन्य महिलाएँ भी इस अवसर का लाभ उठा सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा हरियाणा के मंसार में 200 से अधिक महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया। उनकी प्रतिभा, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए इफको ने उन्हें निःशुल्क एक कृषि ड्रोन प्रदान किया। साक्षी का यह परिवर्तन 'नमो दीदी ड्रोन योजना' के माध्यम से संभव हुआ, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाना है।

साक्षी कहती हैं, “निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों की औसत मासिक आय ₹10,000 से ₹15,000 तक

होती है, लेकिन मैं अपने गाँव में रहकर ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्रति माह ₹25,000 तक की आय अर्जित कर रही हूँ।”

नमो दीदी ड्रोन योजना

महिलाओं का सशक्तिकरण एक सशक्त एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तो वे ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए 'नमो ड्रोन दीदी योजना' के अंतर्गत शुरू की गई ड्रोन दीदी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को नई उड़ान प्रदान की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवम्बर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के पहले महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देकर उन्हें कृषि सेवाएँ प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना है। 1,261 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 से 2025-26 के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य महिला स्वयं

सहायता समूहों को कृषि ड्रोन के संचालन का प्रशिक्षण एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें तकनीक-सक्षम उद्यमी तथा आधुनिक कृषि सेवा प्रदाता के रूप में विकसित करना है। इस पहल से प्रत्येक एसएचजी को प्रतिवर्ष कम से कम ₹1 लाख की अतिरिक्त आय अर्जित होने की संभावना है। इससे न केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका सृजन, कृषि सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा समावेशी ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

नमो ड्रोन दीदी पोर्टल इस योजना से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत (वन-स्टॉप) डिजिटल मंच है, जहाँ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सभी जानकारी एवं उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। योजना की प्रभावी निगरानी के लिए आईटी-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है, जो सेवा प्रदायगी एवं निगरानी के लिए एक समग्र सॉफ्टवेयर मंच के रूप में कार्य करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से निधियों के प्रवाह का प्रबंधन, प्रत्येक ड्रोन के संचालन की निगरानी तथा ड्रोन उपयोग से संबंधित वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, इस पोर्टल को एआईएफ पोर्टल तथा डीएवाई-एनआरएलएम एमआईएस के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे निर्बाध कार्यप्रणाली, बेहतर समन्वय एवं प्रभावी डेटा साझाकरण सुनिश्चित किया जा सके।

उच्च सॉसिडी एवं कम ब्याज दर पर

नमो ड्रोन दीदी योजना की सबसे आकर्षक विशेषता ड्रोन की लागत पर अधिकतम ₹8 लाख तक 80 प्रतिशत सॉसिडी का प्रावधान है। इससे न केवल महिला एसएचजी पर आर्थिक बोझ कम होता है, बल्कि उन्हें आधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी तक सहज पहुँच भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत शेष राशि के भुगतान के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) से केवल 3 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नमो ड्रोन दीदी योजना महिला-नेतृत्व वाले एसएचजी के लिए आय सृजन के नए अवसर भी प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 से 2026 के दौरान 15,000 प्राथमिकता प्राप्त महिला एसएचजी को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

संस्थागत सफल अभिसरण : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू)

- योजना का नोडल मंत्रालय योजना के लिए बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करता है तथा संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

- योजना के अंतर्गत संचालित सभी गतिविधियों की देखरेख एवं निगरानी करता है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं ड्रोन विनिर्देशों निर्माण एवं अनुमोदन तथा ड्रोन की खरीद के लिए नियम एवं शर्तों का निर्धारण शामिल है।
- योजना के लिए बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने तथा केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को निधि जारी करने की जिम्मेदारी निभाता है।
- योजना की रूपरेखा तथा संचालन दिशा-निर्देशों को तैयार करता है।

ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी)

- एसएलसी के परामर्श से एसएचजी का उचित चयन, एसएचजी के प्रगति का निगरानी करने और सहयोग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- डीएवाई-एनआरएलएम तथा एसआरएलएम नेटवर्क के सहयोग से योजना का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और निगरानी।

उर्वरक विभाग (डीओएफ)

- राज्य स्तर पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एलएफसी का नामांकन करना।
- एलएफसी के कार्यों की निगरानी करना तथा एलएफसी के माध्यम से एसएचजी के लिए पर्याप्त व्यावसायिक अवसर सुनिश्चित करना।
- सीएनए से प्राप्त निधियों को एलएफसी के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी एवं संचालित करना।
- एलएफसी के माध्यम से ड्रोन निर्माण इकाइयों द्वारा ड्रोन की खरीद।
- उर्वरक एवं कीटनाशक कंपनियों के माध्यम से एसएचजी के लिए रोजगार सुनिश्चित करना।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए)

- योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल ड्रोन नीति तंत्र पर परामर्श प्रदान करना।
- ड्रोन नियमों, ड्रोन के तकनीकी विनिर्देशों, ड्रोन का परीक्षण एवं टाइप प्रमाणन तथा ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण पर मार्गदर्शन देना।
- डिजीस्काई, एमओसीए का आधिकारिक डिजिटल मंच है, जो ड्रोन पंजीकरण, ड्रोन पायलट प्रमाणन तथा उड़ान अनुमति का प्रबंधन करके भारत में ड्रोन संचालन को सुरक्षित एवं वैध बनाता है।

- डिजीस्काई के माध्यम से मंत्रालय देश में संचालित सभी ड्रोन की निगरानी एवं विनियमन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल अनुमोदित ड्रोन और प्रशिक्षित पायलट ही ड्रोन का संचालन करें।
- डिजीस्काई प्रशिक्षित ड्रोन सहायकों तथा आधिकारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराता है, जिससे सभी ड्रोन संचालन में कौशल, सुरक्षा और प्रशिक्षण के एकसमान मानक सुनिश्चित होता है।

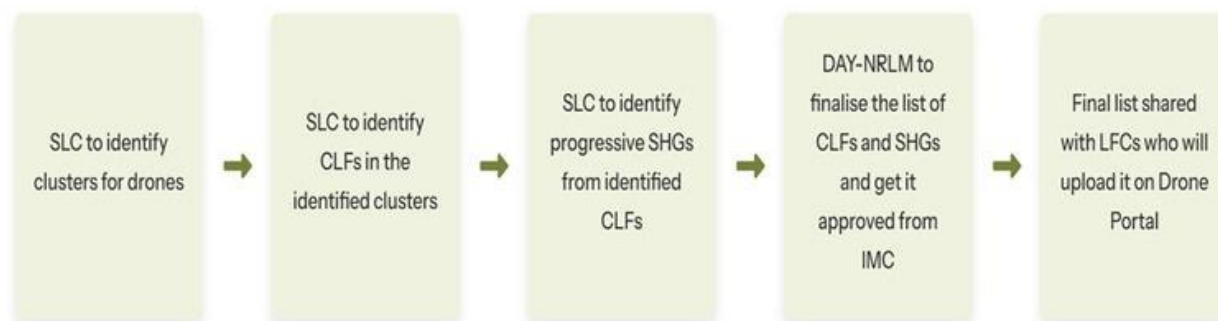
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डीओडब्ल्यूसीडी)

- विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिला एसएचजी के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के संबंध में परामर्श प्रदान करना।

निजी संस्थानें

लीड फर्टिलाइज़र कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों से वर्ष 2023-24 के दौरान ड्रोन दीदियों को 1,094 ड्रोन वितरित किए, जिनमें से 500 नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए। इन

ड्रोन चयन प्रक्रिया



सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक एसएचजी को ड्रोन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। महिलाओं को ड्रोन का संचालन, रखरखाव तथा उसका प्रभावी उपयोग सिखाया जाता है, जिससे वे अपने समुदाय में कृषि सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बन सकें। इससे न केवल आय के नए अवसर सृजित होते हैं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी सुदृढ़ होती है। सब्सिडी एवं रियायती

महिला ड्रोन संचालकों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों (आरपीटीओ) में ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया। शेष 14,500 ड्रोन के आबंटन की जानकारी राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दी गई है।

कृषि विकास एवं ग्रामीण परिवर्तन केंद्र (एडीआरटीसी), बंगलुरु द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत एलएफसी द्वारा वितरित 500 ड्रोन के संचालन की आर्थिक एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि लगभग 7-8 मिनट में किसान ड्रोन एक एकड़ क्षेत्र को कवर करता है। विभिन्न निर्माताओं के किसान ड्रोन की एक बैटरी चार्ज पर उड़ान अवधि 5 से 20 मिनट के बीच पाई गई। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले ड्रोन पैकेज में एक मानक बैटरी सेट तथा चार अतिरिक्त बैटरी सेट शामिल होते हैं।

ब्याज दर पर ऋण के अतिरिक्त, प्रतिभागियों को ड्रोन पायलट के रूप में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना महिलाओं को स्थानीय किसानों को ड्रोन के माध्यम से फसल छिड़काव सेवाएँ उपलब्ध कराकर प्रतिवर्ष ₹1 लाख तक की अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी देती है। वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण तथा आय सृजन के अवसरों का यह समन्वय महिलाओं को अपने समुदाय में आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाता है।

कर्नाटक - अग्रणी राज्य

नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कर्नाटक, देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राज्य ने 145 महिला एसएचजी सदस्यों को सटीक कृषि सेवाओं के लिए प्रमाणित ड्रोन पायलट के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। कर्नाटक की सफलता का आधार राज्य के 31 जिलों में समन्वित कार्यान्वयन तथा कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्थापित एसएचजी के मजबूत नेटवर्क का प्रभावी उपयोग रहा। कृषि की मांग, वित्तीय तैयारी तथा नेतृत्व क्षमता के आधार पर 145 उच्च-क्षमता वाले एसएचजी का चयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य ने प्रशिक्षण पूर्ण करने की राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक सफलता दर प्राप्त की। राज्य की विकसित कृषि-प्रौद्योगिकी व्यवस्था, स्थापित ड्रोन सेवा प्रदाताओं तथा प्रगतिशील कृषि क्षेत्रों ने ड्रोन सेवाओं की स्वाभाविक बाजार मांग तैयार की। प्रशिक्षित 'ड्रोन दीदियाँ' वर्तमान में प्रतिमाह 2,500 हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान कर रही हैं, जिससे इस मॉडल की आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हुई है तथा अन्य राज्यों के लिए भी यह प्रेरणादायक उदाहरण बना है। कर्नाटक में कोप्पल जिला सर्वाधिक 13 महिला एसएचजी सदस्यों के प्रशिक्षण के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि कलबुर्गी (12) तथा मंड्या (11) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ना

इस कार्यक्रम की सफलता ने उस पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है कि एसएचजी केवल पापड़, अचार और अन्य घरेलू उत्पादों के निर्माण तक ही सीमित हैं।

शिवमोग्गा जिले के शिकारीपुर तालुक के चर्चुगुंडी गाँव की आशा रानी सी.एस. उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने जनवरी 2024 में मैसूरु में यह प्रशिक्षण प्राप्त किया। पिछले दो वर्षों से वे मक्का एवं धान की फसलों पर ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं।

आशा रानी कहती हैं, “इस प्रशिक्षण से मुझे आर्थिक रूप से काफी लाभ हुआ है। योजना के अंतर्गत मुझे एक ड्रोन

भी मिला। वर्ष में लगभग चार से पाँच महीने खेतों में दवा के छिड़काव का कार्य मिलता है और कई बार मेरी मासिक आय ₹1 लाख तक पहुँच जाती है।”

निष्कर्ष

नमो ड्रोन दीदी पहल तकनीकी प्रगति और नागरिक विमानन क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पहल दर्शाती है कि भारत उन क्षेत्रों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकी का विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके यह कार्यक्रम महिलाओं को तेजी से विकसित हो रहे उस क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराता है, जिसका आधुनिक कृषि, लॉजिस्टिक्स, निगरानी तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जेंडर समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने की दिशा में भारत के व्यापक दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक है।

इसके साथ ही, नागरिक विमानन क्षेत्र में भारत का वैश्विक नेतृत्व भी उल्लेखनीय है। व्यावसायिक महिला पायलटों की संख्या के मामले में भारत विश्व में अग्रणी देशों में शामिल है। यह उपलब्धि उच्च कौशल वाले व्यवसायों में महिलाओं के लिए अवसर सृजित करने तथा उन्हें तकनीक और विमानन के भविष्य के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नमो ड्रोन दीदी योजना महिला सशक्तिकरण और तकनीकी नवाचार का प्रभावी संगम है, जो आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएँ केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सहभागी ही नहीं, बल्कि उसकी नेतृत्वकर्ता भी बनें। हाथों में ड्रोन और हृदय में दृढ़ संकल्प के साथ भारत की 'ड्रोन दीदियाँ' यह सिद्ध कर रही हैं कि उनके लिए आकाश सीमा नहीं, बल्कि नई शुरुआत है।

एनआईआरडीपीआर में डॉ. बी. आर. आंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद में 15 अप्रैल 2026 को भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। संस्थान परिसर के आंबेडकर ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर श्री रवीन्द्र एस. गवली, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष सीएनआरएम, सीसीडीएम, श्री मनोज कुमार, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन-प्रभारी), डॉ. प्रणब कुमार घोष, सहायक रजिस्ट्रार, (ई) एवं (टी), डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, ग्रामीण आधारभूत संरचना

केंद्र तथा डॉ. सी. काथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, कौशल एवं रोजगार हेतु नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र ने डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा एवं चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संस्थान के अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. आंबेडकर के अमूल्य योगदान तथा सामाजिक न्याय, समानता और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति उनके आजीवन समर्पण को स्मरण करने का अवसर बना। उनके आदर्श आज भी समावेशी विकास, लोकतांत्रिक शासन की दिशा में देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। यूएन-ईएससीएपी के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त यह संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श जैसी परस्पर संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों, पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकों, एनजीओ तथा अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण का कार्य करता है। संस्थान तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक नगर हैदराबाद में स्थित है। वर्ष 2008 में एनआईआरडीपीआर ने अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष भी मनाया। हैदराबाद स्थित मुख्य परिसर के अलावा, संस्थान का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र असम के गुवाहाटी में, एक शाखा नई दिल्ली में तथा वैशाली, बिहार में कैरियर मार्गदर्शन केंद्र संचालित है।



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान

**NATIONAL INSTITUTE OF RURAL
DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ**
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

दूरभाष: (040) 24008473, फैक्स: (040) 24008473

E-ई-मेल: CDC.NIRD@GOV.IN, वेबसाइट: WWW.NIRDPR.ORG.IN

श्री टी. के. अनिल कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के. एस.

अपर्णा वी. आर

मुखपृष्ठ डिजाइन: वी. जी. भट्ट

प्रकाशन

प्रो. ज्योतिष सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीजीएस एवं डीई
एनआईआरडीपीआर, राजेन्द्रनगर,
हैदराबाद - 500 030 की ओर से

